171
31-1-15

B.O.R.
12 3 JAN 2015

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर,
कैम्प सागर (म.प्र.)

निगरानी 358-I-15

गोविन्द सिंह राजपूत आयु 65 वर्ष वल्द स्व. श्री निरपत सिंह राजपूत
निवासी ग्राम सेमाढ़ाना तहसील व जिला सागर
हाल – कोतवाली रोड, मकान नंबर –9, चकराघाट वार्ड, सागर
---- आवेदक

।। विरूद्ध ।।

भानुप्रताप सिंह राजपूत आयु 67 वर्ष वल्द स्व. श्री निरपतसिंह राजपूत
निवासी ग्राम सेमाढाना तहसील व जिला सागर
---- अनावेदक

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

उपरोक्त आवेदक अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 166–अ/6 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 8–12–14 जिसके द्वारा कि आवेदक की अपील समयावधि बाह्य मान कर निरस्त की गई है से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न व अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है –

निगरानी के आधार

(1) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अनुचित, त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के मूलभूत सिद्धान्तों को नजर अंदाज करके सरसरे तौर पर केवल 47 वर्ष के अंतराल को प्रमुखता देते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अवधि बाह्य मानकर गंभीर भूल की है जबकि न्याय की मंशा के अनुसार सुनवाई का अवसर न मिलने के कारण यदि पक्षकार न्याय पाने से वंचित हो जाता है तथा उसे क्षति कारित होती है तो ऐसी स्थिति में धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र उदार रूख अपनाते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की घोर उपेक्षा की है ।

(3) यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदक को प्रश्नाधीन आदेश करने के पूर्व नायब तहसीलदार, जैसीनगर द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई एवं पीठ पीछे संशोधन पंजी पर [illegible]

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 358–एक/2015 **जिला सागर**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
08–04–15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 47 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई । प्रकरण स्वामित्व के नामान्तरण का न होकर मात्र मोहत्तमकार (व्यवस्थापक) के लिये नामान्तरण का है । आवेदक ने जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये हैं वह उदार दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में है । लेकिन इस प्रकरण में आवेदक के हित इस प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे है कि 47 वर्ष के विलम्ब को 'उदार दृष्टिकोण' के आधार पर माफ किया जाना चाहिये । प्रश्नाधीन भूमि मंदिर के नाम पर है जिस पर आवेदक की कोई आपत्ति नहीं है । स्पष्ट है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समयसीमा में मान्य करने के जो निष्कर्ष निकाले हैं वह विधिनुकूल है । फलतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	